रामसहाय वगै० बनाम घनश्याम वगै०
अपील संख्या 27/15

—:निर्णय:—

दिनांक 02.01.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड नादौती जिला करौली के दावा प्रार्थना पत्र संख्या 117/10 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, रामसहाय मीणा बनाम घनश्याम मीणा में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2015 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण, मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी नादौती के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2042/3266 रकबा 25 एयर पर प्रतिवादीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। मातहत अदालत उपखण्ड नादौती ने दिनांक 20.11.2015 को निर्णय पारित करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2042/3266 रकबा 25 एयर ग्राम तेसगांव तहसील नादौती में स्थित है। जिसमें अपीलांट सं0 01 का 1/4 हिस्सा, अपीलांट सं0 02 का 1/4 हिस्सा, रेस्पो0 सं0 01 का 1/4 हिस्सा व रेस्पो0 सं0 04 का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार मौके पर काबिज काश्त है। रेस्पो0 सं0 01 लगायत 04 अपीलांट के हिस्से की भूमि अवैध तरीके से निर्माण करने पर आमदा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर रेस्पोन्डेन्ट को पाबन्द फरमाया जावे कि वह अपीलांट के हिस्से की भूमि में उपयोग उपभोग में बाधा नही डाले एवं विवादित भूमि में कोई निर्माण बिना बंटवारा करवाये नही करे ना ही दीवार करावे। अपील मीमों के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किए गया।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद [illegible] के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने [illegible] करने में हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:19 IST
Reason: SelfAttested

...स्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ साक्ष्यांकित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

8. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि यदि रेस्पो0 सं0 01 लगायत 04 अपीलांट के हिस्से की आराजीयात पर निर्माण करने में सफल हो जाते है तो अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः न्यायालय हाजा से निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्टगण को उचित आदेश से पाबन्द फरमाया जावे।

9. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपील मीमों में वर्णित तथ्य गलत हैं। रेस्पोडेन्टगण अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी नादौती के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2015 सर्वथा उचित व सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

10. उभयपक्ष अधिववताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि विवादित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2066–2069 वाके ग्राम तेसगांव के खसरा नम्बर 2042/3266 रकबा 25 ऐयर अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।

11. यद्यपि रेस्पोडेन्टगण विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार है। परन्तु घोषणा का वाद अभी सक्षम न्यायालय में लम्बित है। अधिनियम की धारा 212 का प्रयोजन भूमि को किसी भी प्रकार की क्षति होने से बचाना भी है। न्यायालय का मत है कि जब परिवार के सदस्यों के मध्य घोषणा का वाद लम्बित हो, तथा भूमि की क्षति होने से रोकने बाबत् खातेदार के विरूद्व भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है।

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner